अपर उपायुक्त-सह-न्याय निर्णयन पदाधिकारी का न्यायालय, सरायकेला-खरसावाँ।

आदेश फलक

जिला- सरायकेला-खरसावाँ वाद सं0- 01/2024-25

विषय - खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा 36(3)(e) के तहत सुनवाई के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
25.07.2025	Central Food Safety Officer (CFSO), FSSAI, Eastern Region (Saraikela Kharswan,Jharkhand) के पत्रांक-RCD-02001/6/2024-ERO, दिनांक-26.04.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI, दिनांक-19.12.2023 के अन्तर्गत जिले में अपर समाहर्त्ता को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रयोजनार्थ न्याय निर्णयन पदाधिकारी घोषित किया गया है। इसलिए उक्त के आलोक में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा 36(3)(e) के अंतर्गत M/s INFO SOFT DATA SERVICES PVT LTD (FSSAI License No.- 11122999000071) अवस्थित प्लॉट नं0-501, खाता नं0-147, मौजा- मुड़िया, हल्का नं0-2, थाना नं0-150 , जिला- सरायकेला-खरसावाँ, झारखण्ड-833219 के विरूद्ध अधिनियम - 51 एवं 52 के तहत कार्रवाई हेतु वाद का संधारण किया गया। केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, श्री अंकन बवाली, पूर्वी क्षेत्र (सरायकेला-खरसावां,झारखण्ड) के द्वारा समर्पित दस्तावेज के अनुसार दिनांक- 01.02.2024 को M/s INFO SOFT DATA SERVICES PVT LTD (FSSAI License No.- 11122999000071) अवस्थित प्लॉट नं0-501, खाता नं0-147, मौजा- मुड़िया, हल्का नं0-2, थाना नं0-150 , जिला-सरायकेला-खरसावाँ, झारखण्ड-833219 से गृहस्थी भोग चक्की फ्रेश आटा के 1Kg के चार पैकेट , कीमत 180/- रू0 मात्र नमूना के तौर पर लेकर उक्त नमूना के एक भाग को शीलबन्द लिफाफे में ज्ञापन की एक प्रति के साथ विश्लेषण हेतु National Food Laboratory (राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता) भेजा गया। दिनांक-19.02.2024 को गृहस्थी भोग चक्की फ्रेश आटा के नमूने का विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि The sample does not conform to the standards laid down under regulation number-2.4.1 of Food safety and standard (Food products standards and food Additive) Rregulations , 2011 as it shows Alcohol Acidity more than the prescribed limit . Hance the sample is sub- standard under section 3(1)(ZX) of FSS Act,2006. उक्त विश्लेषण रिपोर्ट Food Safety and standard rules 2021 के नियम -2.4.2(6) के तहत निर्धारित FSS अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत विश्लेषण के विरूद्ध अपील हेतु M/s INFO SOFT DATA SERVICES PVT LTD	

को दिनांक-27.02.2024 को भेजा गया।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4.6(1) के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में नामित पदाधिकारी, FSSAI पूर्वी क्षेत्र (सरायकेला- खरसावां, झारखण्ड) के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर F.B.O. को प्रदान किया गया। तदनुसार दिनांक 18.03.2024 को सुनवाई हुई। F.B.O. के द्वारा समर्पित अपील एवं उक्त नमूने के पुनः विश्लेषण हेतु अनुरोध पर विचार करते हुए गृहस्थी भोग आटा के प्राप्त नमूने के एक अन्य भाग को दिनांक 20.03.2024 को रेफरल प्रयोगशाला, गाजियाबाद भेजा गया। निदेशक, रेफरल प्रयोगशाला, गाजियाबाद ने अपना रिपोर्ट दिनांक-04.04.2024 को प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि - Sample of Atta does not conform to the standards laid down under regulation number-2.4.1(1) of Food safety and standard (Food products standards and food Additive) regulations , 2011 as the sample shows Gluten content below the minimum prescribed limit. Further the label of the sample contravenes Regulation No-5.10(a) and 5.14 of FSS (labeling and Display), Regulation 2020. The sample is the Sub-Standard under section 3(1)(ZX) amd misbranded under section 3(1)(ZF) of FSS Act, 2006.is sub- standard under section 3(1)(ZX) of FSS Act,2006. उक्त विश्लेषण रिपोर्ट की जानकारी निदेशक, M/s INFO SOFT DATA SERVICES PVT LTD को दी गई।

केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पूर्वी क्षेत्र (सरायकेला- खरसावां, झारखण्ड) के द्वारा रेफरल प्रयोगशाला, गाजियाबाद के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतिम मानते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध Food safety and standard (Food products standards and food Additive) Rregulations , 2011 के विनियमन संख्या 2.4. 1(1) और Food safety and standard (labeling and Display) regulations 2020 के विनियमन सं0-5.10(a) और 5.14 के साथ धारा 23,26 (1),26(2)(ii), 27(1) के उल्लंघन के आलोक में FSS Act, 2006. की धारा 51 एवं 52 के तहत अधिकतम दंड हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी के द्वारा लिखित जवाब दाखिल किया गया जिसमें मुख्यतः उल्लेख किया गया है कि प्राधिकृत पदाधिकारी केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पूर्वी क्षेत्र (सरायकेला- खरसावां, झारखण्ड) के द्वारा संग्रह किये गये एक ही नमूने का NABL से मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रयोगशाला में परीक्षण और विश्लेषण करने पर प्राप्त रिपोर्ट में विरोधाभाष है। मिलर अपने नमूने की गुणवत्ता की जांच किसी भी NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराने का प्रावधान रखते हैं। तदनुसार प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 28.03.2024 को अपने आटे का नमूना महत्वपूर्ण मापदण्डों पर परीक्षण के लिए एक अन्य NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला SUN TECH, तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र, राँची-834003 झारखण्ड को भेजा। यह परीक्षण अल्कोहलिक एसिडिटी,ग्लूटेन की मात्रा सहित 8 आवश्यक मापदण्डों पर किया गया। SUN TECH, द्वारा परीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आटे के नमूने का सभी मापदण्ड निर्धारित सीमा के भीतर है। अल्कोहलिक एसिडिटी एवं ग्लूटेन की मात्रा में कोई असामान्यता नहीं पाई गयी। उत्पाद में गुणवत्ता की सुधार के लिए FSSAI द्वारा सुझाए गए सभी सुधारात्मक उपायों को

भी लागू किया गया है। साथ ही प्रतिवादी पर FSSAI पूर्वी क्षेत्र (सरायकेला-खरसावां, झारखण्ड) के नामित अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित दस्तावेजों का सांगोपांग अध्ययन किया। जिससे स्पष्ट है कि आटे के एक ही नमूने का NABL से मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रयोगशाला में परीक्षण कराने के उपरांत अलग-अलग परिणाम प्राप्त हुए हैं।

I- Food safety and Standards Act, 2006 के धारा 51 में वर्णित है कि " Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees."

II- Food safety and Standards Act, 2006 के धारा 52 (1) में वर्णित है कि " Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees."

इसी प्रकार धारा 52 (2) में वर्णित है कि " The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

अतः उपरोक्त के आलोक में निदेशक, M/s INFO SOFT DATA SERVICES PVT LTD के द्वारा समर्पित लिखित जवाब के आलोक में ऐसी पुनरावृति न होने के शर्त पर धारा-51 एवं 52 के आलोक में अर्थदण्ड 25,000/- (पच्चीस हजार) रू0 निर्धारित शीर्ष -

मुख्य शीर्ष-0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
उप-मुख्यशीर्ष -04-लोक स्वास्थ्य
लघु शीर्ष -104-फीस और अर्थदण्ड आदि
उप शीर्ष -01-शुल्क एवं जुर्माने
विस्तृत शीर्ष -01-प्राप्तियां
इकाई-01-प्राप्तियां में एक सप्ताह के अंदर जमा करने हेतु दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का शक्ति से अनुपालन सुनिश्चित करें।

अभिलेख दिनांक- ..01.08.2025.. को उपस्थापित करें।

Digitally signed by JAY BARDHAN KUMAR
Date: 2025.10.13 13:04:17 +05:30
Location: 192.168.1.39

अपर उपायुक्त-सह-
न्याय निर्णयन पदधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ।